राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2022	14.06.2022	14.10.25

उनवान

. छीतरसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र लाडबाई पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तेलागांव पाचुडाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

. सरजीतसिह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाब्रडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
. सुरेन्दसिंह पुत्र बिजेन्द्रसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
. मोनू पुत्र बिजेन्द्रसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
4. नीरू पुत्री बिजेन्द्रसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
5. आशा देवी पत्नी बिजेन्द्रसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
6. अंजू पुत्री बिजेन्द्रसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
7. सुमन पुत्री बिजेन्द्रसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
8. सीमा पुत्री बिजेन्द्रसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह नीमराना जिला अलवर राज०।
9. हरिओम पुत्र रणजीतसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह.नीमराना जिला अलवर राज०।
10. बबली पत्नी रणजीतसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
11. राधा पुत्री रणजीतसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह नीमराना जिला अलवर राज०।
12. भूतेरी पुत्री रणजीतसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
13. मीरा पुत्री 12. भूतेरी पुत्री रणजीतसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज०।
14. ओमबाई पुत्री रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज० हाल पत्नी श्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी तेलागांव पाचूडाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज०।
15. तारबाई पुत्री रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज० हाल पत्नी श्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी तेलागांव पाचूडाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज०।
16. सरबाई पुत्री रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह. नीमराना जिला अलवर राज० हाल पत्नी श्री मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी तेलागांव पाचूडाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज०।
17. मिथलेश पुत्री रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास तह0 नीमराना हाल पत्नी श्री पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी तेलागांव पाचूडाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
18. उप पंजीयक मांढण तह0 नीमराना जिला अलवर राज0।
19. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला अलवर राज0।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.04.2006 बाबत इंतकाल स0 530 वाके ग्राम डाबडवास जो कि सरपंच ग्राम पंचायत डाबडवास पंचायत समिति नीमराना द्वारा खिलाफ मौका, खिलाफ कानून नियम विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

तरीके से मृतक की एक पुत्री को छोडते हुऐ शेष वारिसान के नाम से इंतकाल स्वीकृत किया जाने का आदेश पारित कर दिया गया है। स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट व निरस्त किये जाने उक्त आदेश एवं मृतक के सभी वारिसान की जांच पडताल कर सभी जायज वारिसान के नाम से मृतक की विरासत का इंतकाल खोला जाने बाबत ।

स्थितः— 1. श्री सुनील चौहान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्टान की ओर से कोई हाजिर नही।

—: निर्णय :—

गवली पेश हुई। अपील के सुक्षम वृतांत निम्न प्रकार से है —

अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर नम्बर 903 रकबा 0.77 है0,428 रकबा 0.44 है0, 448 रकबा 0.85 है0, 449 रकबा 0.84 है0, 644/1202 रकबा 0.34 है0, 645/1201 रकबा 0.22 है0, 699 रकबा 0.48 है0,802 रकबा 0.17 है0, 803 रकबा 0.21 है0,838 रकबा 0.04 है0, 229 रकबा 0.23 है0, 703/1188 रकबा 0.30 है0,706 रकबा 0.68 है0, 708 रकबा 0.44 0.847 रकबा 0.16 0. 909 रकबा 0.10 0. 910 रकबा 0.04 है०. 875 रकबा 0.04 80, 876 रकबा 0.05 80. 877 रकबा 0.04 है0 874 रकबा 0.27 80, 904 रकबा 0.25 80, 905 रकबा 0.23 80 906 रकबा 0.28 0.907 रकबा 0.03 है0. 908 रकबा 0.23 है० वाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना में स्थित है। उक्त आराजी मे रेस्पोडेन्टान स० 1 लगा. 17 के नाम से जो खातेदारी दर्ज हई वह मिन अपीलान्ट के नाना श्री रामकवारसिंह पुत्र रोतानसिंह की विरासत इंतकाल सं० 530 के जरिये दर्ज हुआ है। इंतकाल की नकल संलग्न है। मृतक रामकवार सिंह पुत्र रोहतान सिंह के विधिक वारिसान का सजरा अपील में अंकित किया गया है।
उपरौक्त सजरा के अनुसार मिन अपीलान्ट के नानाजी के पत्नी गोरा देवी तथा पांच पुत्री एवं तीन पुत्र विधिक वारिसान थे तथा मिन वादीके नानाजी की मृत्यु के बाद उनके उपरौक्त सभी वारिसान पत्नी, पुत्री व पुत्रो के नाम से इंतकाल खोला जाना चाहिऐ था। लेकिन मिन वादी के नानाजी की मृत्यु के बाद मिन वादी के मामा बिजेन्द्र, रणजीत व सरजीत तीनो ने मिली भगत कर मिन अपीलान्टा की माताजी लाडबाई को उनके अधिकारो से जानबुझकर वंचित रखने के लिए तत्कालीन पटवारी हल्क से साज बाज होकर, मृतक रामकवारसिंह के पत्नी गोरा देवी तथा पुत्र ओमबाई, तारबाई, सरबाई, मिथलेश व पुत्र बिजेन्द्रसिंह, रणजीतसिंह तथा सरजीतसिंह ही बताकर, तथा मिन अपीलान्ट की माताजी लाडबाई को छोड दिया गया। तथा इसी अनुसार पटवारी हल्का ने मृतक रामकवारसिंह की विरासत का इंतकाल सं० 530 वाके ग्राम डाबडवास भरा गया व इंतकाल मे मृतक के वारिसान भी इसी अनुसार दर्शित किये गये । मिन अपीलान्ट की माताजी को जानबुझकर छोड दिया गया और उस इंतकाल को पटवारी हल्का द्वारा सरपंच ग्राम पचायत डाबडवास के समक्ष पेश किया गया तो सरपंच ग्राम पंचायत डाबडवास द्वारा भी मृतक के वारिसान की बिना पुछताछकिये ही पटवारी हल्का द्वारा भरा गया इंतकाल को स्वीकृत कर दिया गया जो इंतकाल निम्न कारणो से निरस्त होने योग्य है कि —
(क) इंतकाल सं० 530 वाके ग्राम डाबडवास, पटवारी हल्का द्वारा खिलाफ मौका खिलाफ कानून, नियम विरूद्ध तरीके से मिन अपीलान्टान की माताजी को छोडकर, भरा गया और उस इंतकाल को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये ही खिलाफ मौका खिलाफ कानूनन खिलाफ मृतक के वारिसान के स्वीकृ त कर दियागया जो काबिल गोर श्रीमान है।

(ख) कानूनन मृतक के सभी वारिसान के नाम से उनकी विरासत का इंतकाल खोला जाना चाहिऐ किसी एक भी वारिस को छोडा गया तो ऐसा इंतकाल कानून अधूरा एवं गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य होता है। ऐसी सूरत मे इंतकाल सं0 530 मे मृतक की पुत्री लाडबाई को छोड दिया गया। इसलिए इंतकाल सं० 530 कानूनन अधुरा होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

(ग) इंतकाल सं० 530 को स्वीकृत करने से पहले जलसे आम मे मृतक के सभी वारिसान की जांच कर उसके बाद इंतकाल स्वीकृत करना चाहिऐ था लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का द्वारा भरा गया इंतकाल को ही सही मानते हुये स्वीकृत कर दिया गया जो काबिल गोर श्रीमान् है।

(घ) इंतकाल सं० 530 वाके ग्राम डाबडवास खिलाफमौका खिलाफ कानून नियम विरूद्ध स्वीकृत किया। जिससे मिन अपीलान्ट को मेरी माताजी की विरासत से मिलने वाले अधिकारो से वंचित रहना पडेगा ऐसी सूरत मे इंतकाल सं० 530 वाके ग्राम डाबडवास स्वीकृत आदेश दिनांक 21.04.2006 को निरस्त करार दिया जाकर तथा इंतकाल सं० 530 के जरिये आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे आयी ऐन्ट्री व उसके बाद रेस्पोडेन्टान के नाम से आयी सभी खातेदारी ऐन्ट्री को कलमजन किया जाकर, मृतक रामकवार सिंह पुत्र रोतानसिंह जाति राजपूत निवासी डाबडवास की विरासत का इंतकाल अपील के पदसं० 2 मे अंकित सजरा के अनुसार खोला जाने का आदेश फरमाया जाना न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी

रेस्पोडेन्टान के नाम से आराजी मुतनाजा की खातेदारी इंतकाल सं० 530 के आधार पर ही दर्ज हुई है। जो गलत खातेदारी के आधार पर रेस्पोडेन्टान मिन अपीलान्ट के हिस्से की भूमि देने के लिए इंकार कर रहे है तथा दिनांक 10.5.2022 को रेस्पोडेन्टान को इस बाबत बताया जाकर मिन अपीलान्टा का हिस्सा आराजी मुतनाजा मे देने के लिए कहा तो रेस्पोडेन्टान ने उस समय तो हा भरली थी लेकिन अब दिनांक 25.05.2022 को रेस्पोडेन्टान द्वारा मिन अपीलान्ट को मेरा हिस्सा देने से साफ इंकार कर दिया एवं आराजी मुतनाजा को हाल गलत खातेदारी के आधार पर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। इसलिए इंतकाल सं० 530 वाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना को स्वीकृत आदेश दिनांक 21.04.2006 के प्रचलन को स्थगित किया जाकर रेस्पोडेन्टान को इस आशय की हुक्म ईम्तनाई दवागी से पाबन्द किये जावे कि वो जब तक आराजी खसरा नम्बर हाल 903 रकबा 0.77 है0,428 रकबा 0.44 है०, 448 रकबा 0.85 है0, 449 रकबा 0.84 है0, 644&1202 रकबा 0.34 है0, 645&1201 रकबा 0.22 है0, 699 रकबा 0.48 है0.802 रकबा 0.17 है0, 803 रकबा 0.21 है0,838 रकबा 0.04 है0, 229 रकबा 0.23 है0, 703 & 1188 रकबा 0 .30 है0.706 रकबा 0.68 है0, 708 रकबा 0.44 है0,847 रकबा 0.16 है0,909 रकबा 0.10 है0, 910 रकबा 0.04 है0. 875 रकबा 0.04 है0, 876 रकबा 0.05 है0, 877 रकबा 0.04 है0 874 रकबा 0.27 है0, 904 रकबा 0.25 है0, 905 रकबा 0.23 है0, 906 रकबा 0.28 है0,907 रकबा 0.03 है0,908 रकबा 0.23 है० वाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना जिला अलवर राज० मे मृतक रामकवारसिंह की विरासज के जरिये मिन अपीलान्ट को खातेदारी हिस्सा प्राप्त नही हो जावे तक तक उक्त आराजी मे रेस्पोडेन्टान के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज के आधार पर वो उक्त आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बयहिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे। ना ही मिन अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा मे मेरे खातेदारी हिस्से की भूमि पर फसल बोने काटने व हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने मे किसी प्रकार की दिक्कत बाजी पैदा नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे बाज आवे तथा उप पंजीयक मांढण को पाबन्द किया जावे कि उनके समक्ष आराजी मुतनाजा की बाबत रेस्पो० सं० 1 लगा. 17 द्वारा कोई भी मुन्तकिली दस्तावेज पेश करने पर उनको तस्दीक व पंजीबद्ध नही करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे । बाज आवे।

उक्त गलत इंतकाल की जानकारी मिन अपीलान्ट को आज तक नही थी क्योकि रेस्पोडेन्ट द्वारा मिन अपीलान्ट को बता रखा था कि आपकी माताजी के नाम से भी इंतकाल खुलवा रखा है। इसलिए मैने रिकार्ड नही देखा लेकिन अब मिन अपीलान्ट अपनी माताजी की विरासत का इंतकाल अपने नाम खुलवाने की कार्यवाही करना चाहा व जमाबन्दी की नकल ली तो पता चला की आराजी मुतनाजा मे मिन अपीलान्ट की माताजी का नाम ही नही है तो मैने अपने नानाजी की विरासत का इंतकाल की नकल दिनांक 04.05.2022 को ली तब मुझे पता चला की मेरे नानाजी की विरासत के इंतकाल मे मेरी माताजी को छोड दिया गया इस पर मै रेस्पोडेन्टान से मिला व उनको गलत इन्द्राजात की जानकारी दी व उनको कहा कि आपने तो मेरी माताजी के नाम से इंतकाल दर्ज करवा देने के लिए कहा था । मेरे नानाजी की विरासत के इंतकाल मे मेरी माताजी का ही नाम छोड दिया गया। तो रेस्पोडेन्टान ने मिन अपीलान्ट की माताजी के हक की खातेदार मेरे नाम दर्ज करवाने की हॉ भरली थी लेकिन अब दिनांक 25.05.2022 को रेस्पो० ने मिन अपीलान्ट के नाम से मेरी माताजी के हक की खातेदारी दर्जकरवाने से साफ इंकार कर दियागया । इसलिए मैने यह अपील जानकारी स अन्दर मियाद पेश की गई है लेकिन फिर भी अपील इंतकाल सं० 530 स्वीकृति आदेश दिनांक 21.04.2006 से जानकारी दिनांक 04.05.2022 तक के समय की मियाद के मुजरा के लिए अलग से दफा 5 मियाद अधि० का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। जिसे मूल अपील का अंश समझा जाना न्याय संगत है।

उक्त अनुवानी अपील मे उप पंजीयक मांढण को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिन्हे कानूनी तोर पर दफा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जा चुका है लेकिन नोटिस की मियाद पूरी होने मे समय लगेगा तब तक वो आराजी मुतनाजा के गलत इन्द्राज के आधार पर मुन्तकिली दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीबद्ध कर देगें जिससे मिन अपीलान्ट की अपील का कोई ओचित्य नही रहेगा। ऐसी सूरत मे नोटिस के समय की मियाद का मुजरा के लिए अलग से दफा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

इंतकाल सं० 530 वाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना जिला अलवर राज० को स्वीकृत करने का आदेश तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत डाबडवास तह० नीमराना द्वारा पारित किया गया है जिस आदेश के विरूद्ध अपील श्रवण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत डाबडवास पंचायत समिति नीमराना द्वारा इंतकाल सं० 530 वाके ग्राम डाबडवास की बाबत पारित स्वीकृत आदेश दिनांक 21.04.2006 को निरस्त करार देया जाकर, उक्त विधि विरूद्ध स्वीकृत इंतकाल के आधार पर व उसके बाद इस इंतकाल की भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्टान के नाम से दर्ज हुई उस सभी खातेदारी ऐन्ट्रीज को कलमजन किया जाकर मृतक रामकवार सिंह पुत्र रोतानसिंह जाति राजपूत निवासी डाबडवास तह० नीमराना की विरासत का इंतकाल अपील के पदसं० 2 मे अंकित सजरा के अनुसार मृतक के सभी वारिसान के नाम से खोला जाने को आदेश फरमाया जाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी ।

7. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान बावजूद सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुए। वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वताया कि मृतक रामकवार सिंह के कुल 09 विधिक वारिसान थे। मृतक की विरासत का ईन्तकाल करते समय रामकवार सिंह की पुत्री लाडबाई के नाम इन्काल दर्ज नही किया गया जबकि लाडवाई उसकी जायन्दा पुत्री थी। लाडबाई की मृत्यू के पश्चात् अपीलान्ट अपने नाना की विरासत में प्राप्त आराजी काविज काश्त है। परन्तु ग्राम पंचायत ने मृतक रामकवार सिंह की विरासत के इन्तकाल का निर्णय करने से पूर्व उसके विधिक वारिसान की कोई जांच नही की तथा न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त किया जाकर इन्तकाल मृतक रामकंवार सिंह के सभी विधिक वारिसान के नाम मं
जूर किया जावें।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 530 का अवलोकन किया गया। उक्त इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.03.2006 को दर्ज किया गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा 27.03.2006 को मिलान किया जाकर वास्ते निर्णय ग्राम पंचायत डाबडवास के समक्ष दिनांक 21.04.2006 को पेश किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि, **"आज दिनांक 21.04.2006 को ग्राम पंचायत की बैठक में विरासत का ना0 कोरम में पेश हुआ जिसमें कॉलम संख्या 7 की बजाय कॉलम संख्या 9 पर दर्ज इन्द्राज सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है"** (हस्ता0 सरपंच ग्राम पंचायत) इन्तकाल की पुश्त पर अंकित निर्णय के अवलोकन से साबित है कि केवल सरपंच, ग्राम पंचायत के ही हस्ताक्षर है। किसी अन्य सदस्य के कोई हस्ताक्षर नही है। जिससे प्रतीत होता है कि वक्त निर्णय ग्राम पंचायत का पूर्ण कोरम नही था तथा न ही अपीलान्ट को सूनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत होता है। सरपंच ग्राम पंचायत को विरासत के इन्तकाल का निर्णय करने से पूर्व मृतक के सभी विधिक वारिसान की जांच करनी चाहीए थी तथा सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहीए था।, इसलिए इन्तकाल के निर्णय में कानूनी खामी रही है। इसके अलावा रेस्पोडेन्टान द्वारा अपील इन्तकाल की जानकारी होते हुए बावजूद सूचना के कोई चुनौती नही दी गई है। इसलिए अपील के साथ प्रस्ततु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद स्वीकार करते हुए न्यायहित में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत डाबडवास का आदेश दिनांक 21.04.2006 बाबत इन्तकाल संख्या 530 वाके ग्राम डाबडवास निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मांढण को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह मृतक रामकंवार सिंह पुत्र रोहतान सिंह के विधिक वारिसान की भलीभांति जांच कर एवं पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार मांढण को भेजी जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.25 मेंरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना